गांधी-इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौते के रूप में भी जाना जाता है, मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ एक समझौता था। इस समझौते ने एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया में योगदान दिया। गांधी-इरविन समझौते की प्रमुख विशेषताएं और परिणाम इस प्रकार हैं:

पृष्ठभूमि:

1. सविनय अवज्ञा आंदोलन: महात्मा गांधी ने दमनकारी नमक कर और अन्य अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन में अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के कार्य शामिल थे।
2. गिरफ़्तारी और दमन: सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में, महात्मा गांधी सहित कई भारतीयों को ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इस आंदोलन के कारण पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन और अशांति हुई।

प्रमुख विशेषताऐं:

1. गांधी और इरविन के बीच संवाद: चल रही अशांति के राजनीतिक समाधान की आवश्यकता को पहचानते हुए, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांगों को संबोधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार से बातचीत की मांग की। वायसराय लॉर्ड इरविन बातचीत में शामिल होने के लिए सहमत हुए।
2. संधि का उद्देश्य: गांधी-इरविन समझौते का प्राथमिक उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना और महात्मा गांधी सहित राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था।
3. प्रमुख प्रावधान:
    - ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई।
    - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुई, जिसका उद्देश्य भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था।
    - ब्रिटिश सरकार ने नमक कर और नमक के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में रियायतें देने का वादा किया।

परिणाम और प्रभाव:

1. राजनीतिक कैदियों की रिहाई: गांधी-इरविन समझौते के तात्कालिक परिणामों में से एक महात्मा गांधी सहित राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी, जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जीत के रूप में देखा गया था।

2. दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई। हालाँकि, वार्ता से कोई महत्वपूर्ण सफलता या समझौता नहीं हुआ और वार्ता अंततः विफल रही।
3. मिश्रित प्रभाव: इस समझौते का राजनीतिक माहौल पर मिश्रित प्रभाव पड़ा। हालाँकि इससे राजनीतिक नेताओं की रिहाई हुई, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी विभाजन पैदा किया और ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए।
4. सविनय अवज्ञा की बहाली: असफल दूसरे गोलमेज सम्मेलन और सार्थक सुधारों को प्राप्त करने में विफलता के बाद, 1932 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया गया।
5. स्वतंत्रता की ओर: गांधी-इरविन समझौते को व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया में एक कदम के रूप में देखा जाता है जिसके कारण अंततः 1947 में भारत को आजादी मिली। इसने स्वतंत्रता के संघर्ष में बातचीत और बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला।

गांधी-इरविन समझौता चल रही सविनय अवज्ञा और विरोध गतिविधियों में एक अस्थायी संघर्ष विराम का प्रतिनिधित्व करता था। हालाँकि इससे तत्काल, महत्वपूर्ण राजनीतिक रियायतें नहीं मिलीं, लेकिन इसने भारतीय नेताओं और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के बीच बातचीत और बातचीत में एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया। इसने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में अहिंसक प्रतिरोध की ताकत पर भी प्रकाश डाला।

LEARNING MANTRAS